GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralya)
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2013/TG-I/20/P/PRS Ticket/Pt. New Delhi, dated 06.11.2015

Chief Commercial Managers,
<u>All Zonal Railways</u>

General Manager/PRS,
CRIS, Chanakyapuri, <u>New Delhi.</u>

Chairman & Managing Director, IRCTC,
B 148, 11th Floor, Statesman House,
Barakhamba Road, <u>New Delhi - 110001</u>

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 66 OF 2015)

Sub: Rationalisation of computerised Passenger Reservation System(PRS).

Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fare) Rules, 1998 have been revised and the revised Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fare) Rules, 2015 have been notified in the Gazette and revised refund rules have been circulated to all Zonal Railways vide CC no. 64 & 65 of 2015. In the revised refund rules, there is a provision for granting refund of fare on cancellation of confirmed ticket up to 4 hours before scheduled departure of train. RAC and waitlisted tickets can be cancelled up to 30 minutes before the scheduled departure of the train.

2. With a view to facilitate implementation of revised refund rules and to provide passengers sufficient time gap between preparation of charts and departure of train, it has been decided to streamline the functioning of computerised reservation system as under:-

a) Reservation charts will invariably be made at least 4 hours before the scheduled departure of the train and in case if the same are not made by the charting section, the system will automatically finalise them 4 hours before the scheduled departure of train. This will facilitate passengers to know their status and to plan their journey well in time.

b) Immediately after preparation of reservation charts, the reservation will again become open at the PRS as well as on internet and the passengers can:-

- Book the available accommodation in the train for full/partial leg of the journey, in case there is no RAC/waitlist for that leg.
- In case there is RAC/waiting list in the train, the passengers will be given the facility to cancel the ticket up to 30 minutes before the scheduled departure of train. This will facilitate the passengers particularly partially confirmed passengers to decide either to undertake the journey or to cancel their ticket.

c) A supplementary chart of reservations made and cancellation done during the intermittent period(between preparation of first chart and second chart) will be taken out and handed over to onboard ticket checking staff.

d) Available vacant accommodation at train originating station, if any, should not update the waiting list position at the remote location at the time of preparation of first reservation charts. This vacant accommodation will remain available at train originating station for booking till preparation of second chart, which will ensure optimum utilization as well as enhanced earnings. At the time of preparation of

second reservation charts, it shall update the waiting list of the next remote location and simultaneously the first reservation chart of said remote location shall be prepared. The second reservation chart at the remote location shall also be prepared on the same analogy as that of originating station i.e. thirty minutes before scheduled departure of train. A provision will be required to be made in the system to ensure it, if not already there.

e) The condition for printing of first reservation charts at least four hours before departure of train shall be applicable in case of train originating station. In case of remote locations, printing of first reservation chart shall be linked to preparation of second reservation chart at train originating station. In case second remote location is at very short distance from the originating station, railways can work out the modalities and decide the timings for preparation of first and second charts at such remote locations. At such remote locations, it may however be ensured that there is sufficient gap between preparation of first chart and departure of train. If situation so demands, the fist reservation charts at such remote location can be prepared immediately after preparation of first reservation charts at the originating station.

f) At present only SMS updates are sent in case of tickets booked through PRS to those passengers who get their mobile number registered at the time of booking ticket. CRIS shall make necessary provision in the software for sending SMS also on booking of ticket through PRS also, on the pattern being followed by IRCTC in case of e-tickets.

3. CRIS will make necessary modifications in the software and provide the above facilities in respect of 2 (b) & (c) w.e.f. 10.11.2015 and 2(a) w.e.f 18.11.2015. Zonal Railways may please refer to instructions already issued to Zonal Railways vide no. 2009/TG-I/20/P/Chart dated 14.10.2015 for preparing reservation charts at least 4 hours before scheduled departure and to take out supplementary charts and take necessary action to ensure that all the modalities for release of emergency quota should be completed well in time so that the preparation of reservation charts is not delayed on this account.

3.1 With regards to 2 (d) to (f), CRIS will take necessary action at the earliest under intimation to all Zonal Railways as well as this office.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned and wide publicity may be given through all possible means for information of general public.

6/11/15

(Sanjay Manocha)
Dy. Director Traffic Commercial (G)-II
Railway Board.

No. 2013/TG-I/20/P/PRS Ticket/Pt. New Delhi, dated 06.11.2015

Copy to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director(Audit), All Zonal Railways.

For Financial Commissioner/Railways

-3/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.2013/टीजी-I/20/पी/पीआरएस टिकट/पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 06.11.2015

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
<u>सभी क्षेत्रीय रेलवे</u>

महाप्रबंधक/पीआरएस,
क्रिस, चाण्क्यपुरी, <u>नई दिल्ली</u>

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
आईआरसीटीसी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समेन हाउस,
बाराखम्बा रोड, <u>नई दिल्ली-110001</u>

(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 66)

विषयः कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) को युक्तिसंगत बनाना।

रेलवे यात्री (टिकटों का रद्दकरण और किराये की वापसी) नियम, 1998 में संशोधन किया गया है और संशोधित रेलवे यात्री (टिकटों का रद्दकरण और किराए की वापसी) नियम, 2015 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है तथा 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 64 तथा 65 के माध्यम से संशोधित रिफंड नियमों को सभी क्षेत्रीय रेलों को परिपत्रित कर दिया है। संशोधित रिफंड नियमों में गाड़ी के प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट को रद्द कराने पर किराए की वापसी का प्रावधान है। आरएसी और प्रतीक्षा सूची की टिकटों को गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक रद्द कराया जा सकता है।

2. संशोधित रिफंड नियमों के कार्यान्वयन तथा यात्रियों को चार्ट तैयार होने और गाड़ी के प्रस्थान समय के बीच पर्याप्त समय-अन्तराल प्रदान करने के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की कार्यप्रणाली को निम्नानुसार सुचारू बनाने का निर्णय लिया गया है:

(क) आरक्षण चार्ट अनिवार्यतः गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 4 घंटे पहले बनाए जाएंगे और चार्टिंग अनुभाग द्वारा इन्हें न बनाए जाने की स्थिति में सिस्टम स्वतः ही गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले इसे अंतिम रूप दे देगा। इससे यात्री अपनी स्थिति को जान सकेंगे और वे अपनी यात्रा की तैयारी समय पर कर सकेंगे।

(ख) आरक्षण चार्ट बन जाने के तत्काल बाद आरक्षण पुनः पीआरएस के साथ-साथ इन्टरनेट पर खुल जाएगा और यात्रीः

- किसी खण्ड के लिए आरएसी/प्रतीक्षा सूची न हो तो यात्री पूरी यात्रा/ आंशिक यात्रा के लिए गाड़ी में उपलब्ध स्थान को बुक कर सकते है।
- यदि गाड़ी में आरएसी/प्रतीक्षा सूची हो तो यात्री को गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक टिकट रद्द कराने की सुविधा दी जाएगी। इससे यात्री विशेषतः आंशिक रूप से कन्फर्म्ड यात्री यात्रा करने अथवा अपनी टिकट रद्द कराने का निर्णय ले सकेंगे।

(ग) अंतरिम अवधि (पहला चार्ट तथा दूसरा चार्ट तैयार करने की बीच की अवधि) के दौरान किए गए आरक्षणों तथा रद्दकरण का एक पूरक चार्ट निकाला जाएगा और उसे ऑन बोर्ड टिकट चैकिंग स्टाफ को सौंपा जाएगा।

(घ) गाड़ी के ऑरिजिनेटिंग स्टेशन पर उपलब्ध खाली बर्थो, यदि कोई हो, से पहला आरक्षण चार्ट तैयार करते समय दूरस्थ स्थल (Remote Location) की प्रतीक्षा सूची की स्थिति को अपडेट नहीं किया जाना चाहिए। ये खाली बर्थ, दूसरा चार्ट तैयार करने के समय तक बुकिंग के लिए गाड़ी के ऑरिजिनेटिंग स्टेशन

के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे गाड़ी की बर्थों का इष्टतम उपयोग होगा और साथ ही आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करते समय इससे अगले दूरस्थ स्थल (Remote Location) की प्रतीक्षा सूची को अद्यतन किया जाएगा और साथ ही उक्त दूरस्थ स्थल का पहला आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार, दूरस्थ स्थल के लिए दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा अर्थात् उसे गाड़ी के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तैयार किया जाएगा। यदि सिस्टम में पहले से इसका प्रावधान न हो तो इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाना होगा।

(ङ) पहला आरक्षण चार्ट गाड़ी के प्रस्थान से कम से कम चार घंटे पहले मुद्रित करने की शर्त गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन के मामले में ही लागू होगी। दूरस्थ स्थलों के मामले में, पहला आरक्षण चार्ट मुद्रित किया जाना गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन पर दूसरे आरक्षण चार्ट को तैयार करने से सम्बद्ध होगा। दूसरा दूरस्थ स्थल, ऑरिजिनेटिंग स्टेशन से बहुत कम दूर होने की स्थिति में रेलवे ऐसे दूरस्थ स्थलों पर पहला तथा दूसरा चार्ट तैयार करने का तौर-तरीका बना सकती है। बहरहाल, ऐसे दूरस्थ स्थलों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि पहला चार्ट तैयार करने और गाड़ी के प्रस्थान के बीच पर्याप्त समय अन्तराल हो। यदि जरूरी हो, तो ऐसे दूरस्थ स्थल पर पहला आरक्षण चार्ट को ऑरिजिनेटिंग स्टेशन पर पहला आरक्षण चार्ट तैयार करने के तत्काल बाद तैयार किया जा सकता है।

(च) इस समय पीआरएस के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के मामले में उन यात्रियों को केवल एसएमएस अपडेट भेजे जाते हैं, जिन्होंने टिकट बुक करते समय अपना मोबाइल नं. रजिस्टर किया होता है। क्रिस, ई-टिकटों के मामले में आईआरसीटीसी द्वारा अपनाए जाने वाले पैटर्न पर, पीआरएस के माध्यम से टिकटों की बुकिंग के मामले में भी एसएमएस भेजने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करेगा।

3. क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करेगा और 10.11.2015 से 2(ख) और (ग) के संबंध में और 18.11.2015 से 2(क) के संबंध में उक्त सुवधाएं मुहैया करेगा। क्षेत्रीय रेलें कृपया गाड़ी प्रस्थान समय से कम से कम 4 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने से संबंधित 14.10.2015 के पत्र सं.2009/टीजी-I/20/पी/चार्ट द्वारा क्षेत्रीय रेलों को पहले जारी किए गए अनुदेशों को देखें और पूरक चार्ट निकालें तथा यह सुनिश्चित करें कि आपात कोटा को रिलीज करने के लिए सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएं ताकि इस कारण आरक्षण चार्ट को तैयार करने में कोई विलम्ब न हो।

3.1 जहां तक 2(घ) से (च) का संबंध है क्रिस इस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगी और इस संबंध में क्षेत्रीय रेलों तथा इस कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

4. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं और आम जनता की सूचना के लिए सभी संभव साधनों से इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

(संजय मनोचा)
उपनिदेशक, वाणिज्यिक (जी)-I।
रेलवे बोर्ड

सं.2013/टीजी-I/20/पी/पीआरएस टिकट/पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 06.11.2015

प्रतिलिपिः-

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

नरेश
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे